न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,पीपाड़ शहर (जोधपुर) राज०

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती कंचन राठौड़, आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 166/2023
जीसीएमएस नं. :– 2023/263

प्रार्थीया :–
गजेन्द्र पुत्र जगतम्बाराज जाति महाजन निवासी सिंघ पोल जोधपुर जिला जोधपुर राज.।

बनाम

अप्रार्थी :–
सरकार जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

दर्ज तारीख :– 31.08.2023

उपस्थित :
श्री रामदयाल चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी।
तहसीलदार पीपाड़ शहर, सरकारी पैरोकार।

आदेश

दिनांक : 09.12.2023

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज. भू. राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है:– ग्राम चौकड़ी खुर्द की राजस्व सीमा में प्रार्थी व प्रार्थी के परिवारजन की संयुक्त खातेदारी, कब्जासुदा कृषि भूमि खसरा नम्बर 240 क्षैत्रफल 1.2135 हैक्टयर किस्म बारानी चतुर्थ कृषि भूमि स्थित हैं जिसको आगे प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी व प्रार्थी के परिवारजनो का अभिलिखित सहखातेदार काश्तकार की हैसियत से कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग बिना किसी रोक टोक के निर्बाध रूप से चला आ रहा हैं। वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी व प्रार्थी परिवारजन सावणु फसल की बुवाई करते आये हैं। प्रार्थी वादग्रस्त आराजी की सुरक्षा हेतु वादग्रस्त आराजी के चारो तरफ मुटाम कायम करवाकर दिवार/तारबंदी करवाना चाहता हैं। जिसमें प्रार्थी के परिवारजन सहमत है। प्रार्थी ने उक्त भूमि की पैमाईश भी करवा रखी हैं जो फर्द मौका सीमांकन रिपोर्ट दिनांक 16.08.2023 को हल्का पटवारी द्वारा तैयार की गई हैं। प्रार्थी वादग्रस्त आराजी का नाप चौप किया जाकर सीमा कायम की जाकर पत्थरगढ़ी/मुण्डागढ़ी करवाना चाहता हैं इसलिए वादग्रस्त आराजी का नाप चौप किया जाकर सीमा कायम की जाकर पत्थरगढ़ी/मुण्डागढ़ी करवाई जानी अतिआवश्यक व लाजमी है जिससे भविष्य में कोई विवाद उत्पन्न नही हो । प्रार्थी ने वादग्रस्त आराजी की पत्थरगढ़ी करवाने हेतु अप्रार्थी के समक्ष दिनांक 21.08.2023 को निवेदन किया परन्तु अप्रार्थी ने सक्षम न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की सलाह दी। प्रार्थी नियमानुसार पत्थरगढ़ी हेतु मुण्डें उपलब्ध करवा देगा एवं मोमीट्रेस नक्शा उपलब्ध करवा देगा एवं नियमानुसार कमिश्नर को फीस अदा कर देगे। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर श्रीमान न्यायालय हाजा से विन्रम निवेदन है कि ग्राम चौकड़ीखुर्द पटवार क्षैत्र चौकड़ी खुर्द भू.अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र चौकड़ीकलां तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर की राजस्व सीमा में प्रार्थी व प्रार्थी के परिवारजन की संयुक्त खातेदारी, कब्जासुदा कृषि भूमि खसरा नम्बर 240 क्षैत्रफल 1.2135 हैक्टयर किस्म बारानी चतुर्थ

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

कृषि भूमि का नाप चौप किया जाकर पत्थरगढ़ी/मुण्डागढ़ी करवाने हेतु तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेशित फरमावें।

हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर ने जवाब प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी आवेदक गजेन्द्र सिघंवी पुत्र जगदम्बाराज जाति महाजन के खेत खसरा नम्बर 240 रकबा 1.2135 हैक्टयर भूमि का सीमांकन हेतु प्रार्थी खातेदार, पड़ौसी खातेदार एवं रूबरू मौतबिरान मौके पर पहुंच प्रार्थी ने जिला कलेक्टर (भू.अ.) महोदय जोधपुर द्वारा जारी प्रमाणित मूल नक्शा कमांक 1941 दिनांक 07.08.2023 को जारी किया हुआ हैं, उपलब्ध कराया गया हैं। उक्त नक्शे को आधार मानते हुए मौतबिरान द्वारा बताया गया कि पुख्ता मुटाम से सीमांकन कार्यवाही जरीब एवं जीपीएस की सहायता से पैमाईश कर खसरा नम्बर 240 की सीमा का ज्ञान उपस्थित मौतबिरान को बताया गया। उपरोक्त नजरी नक्शा अनुसार खसरा नम्बर 240 का सीमा का ज्ञान उपस्थित मौतबिरानो को करवाया दिया गया हैं। फर्द मौका मौके पर तैयार कर सही होना स्वीकार कर उपस्थितजनो के हस्ताक्षर अंगुठा निशान करवाये गये। प्रार्थी वकील द्वारा उक्त भूमि के 4 सहखातेदारो द्वारा स्वयं के नाम प्रदत आम मुख्यतारनामा फार्म नं. 3 के साथ पेश किया ।

हमने बहस पक्षकारान सुनी गयी जिसमें वकील प्रार्थी ने अपने बहस में प्रार्थना पत्र के बिन्दुओ को दोहराते हुए निवेदन किया है कि ग्राम चौकड़ी खुर्द के खसरा नम्बर 240 रकबा 1.2135 हैक्टयर का नाप चौप करवाया जाकर उक्त खसरान के चारो तरफ पत्थरगड्डी करवायी जाने का आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया हैं। अप्रार्थी राजकीय पैरोकार द्वारा पत्थरगढ़ी प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने में अनापति जाहिर की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर यह प्रतीत होता हैं कि प्रार्थी वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार है 4 सहखातेदारो द्वाारा आम मुख्यतारनामा प्रार्थी के नाम किया गया हैं चूंकि पत्थरगढ़ी प्रार्थना पत्रमें खातेदार के अधिकार प्रदान या समाप्त नही होते । इसलिए वादग्रस्त आराजी का नापचौप करवाकर पत्थरगढ़ी करवाई जाना न्यायसंगत हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू. राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार कर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि आप द्वारा प्रस्तुत फर्द मौका दिनांक 16.08.2023 अनुसार राजस्व ग्राम चौकड़ी खुर्द के खसरा नम्बर 240 भूमि का टीम गठित कर नापचौप कर पत्थरगढ़ी करावे एवं फर्द मौका को निर्णय का अंग समझा जावें। इस बाबत् नियमानुसार शुल्क प्रार्थी राजकीय कोष में जमा करवायेगें। तहरीर जारी हो, बाद पत्थरगढ़ी पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें।

(कंचन राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी,
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 09.12.2023 को सर–ए–इजलास में सुनाया गया ।

(कंचन राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी,
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर